प्रेस विज्ञप्ति

18.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर बाबा, उनके करीबी सहयोगी नवीन रोहरा व अन्य से संबंधित 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने एटीएस, लखनऊ द्वारा आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के इस्तेमाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था। छंगुर बाबा व उसके सहयोगियों पर चांद औलिया परिसर से संचालित एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने का आरोप है। बलरामपुर की दरगाह में वह नियमित रूप से बड़ी सभाओं का आयोजन करता था, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों ही नागरिक शामिल होते थे। उस पर अन्य धर्मों के लोगों—विशेषकर अनुसूचित जातियों और हिंदू धर्म से जुड़े आर्थिक रूप से वंचित लोगों—को व्यवस्थित रूप से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, दबाव डालने और छल करने का आरोप है।

जाँच के दौरान, अब तक छंगुर बाबा और उनके सहयोगियों से जुड़े 22 बैंक खातों का विश्लेषण किया जा चुका है। इन बैंक खातों की जाँच से छंगुर बाबा व उसके सहयोगियों को प्राप्त 60 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का पता चला है। यह भी पता चला है कि छंगुर बाबा व उनके सहयोगियों को विदेशों से भी बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई है।

तलाशी के दौरान, कई दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे पता चला कि धन, जो कि अपराध की आय के अलावा कुछ नहीं है, को विभिन्न लोगों को करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां खरीदने और इन संपत्तियों में निर्माण गतिविधियां चलाने के लिए अंतरित किया गया था।

तलाशी के दौरान एकत्र साक्ष्यों से पता चला कि धन-शोधन में अपनी वास्तविक संलिप्तता छिपाने उद्देश्य से छंगुर बाबा द्वारा अर्जित सभी अचल संपत्तियां उनके सहयोगियों नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के नाम पर हैं। तलाशी के दौरान जाँच से संबंधित भौतिक रिकॉर्ड भी बरामद हुए।

आगे की जांच जारी है।